रजिस्ट्री सं. डी.—(डी एन)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 18, 1983 (ज्येष्ठ 28, 1905)

No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 18, 1983 (JYAISTHA 28, 1905)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	465
भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	847
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	923
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खंड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	1335
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	2479
भाग II—खंड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	261
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	11393
भाग III—खंड 2—पैटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	393
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	93
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2545
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	105
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़े को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	465
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	847
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	923
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A.—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3.—SUP.-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	1335
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	2479
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii).—Authoritative tests in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules and Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	261
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission Railway Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	11393
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	393
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	93
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2545
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	105
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1
PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 जून, 1983

सं० 38-प्रेज/83—राष्ट्रपति तमिल नाडु पुलिस ने निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री करूपानन करूपय्या,

पुलिस कांस्टेबल सं० 306,

कोयम्बटूर (शहरी) जिला,

तमिलनाडु।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

4 जून, 1981, को अपराध टुकड़ी के पुलिस निरीक्षक, श्री एम० भाग्यसामी, को सूचना प्राप्त हुई कि केरल के 2 व्यक्ति स्थानीय बाजार में चोरी के चांदी के उन आभूषणों को बेचने का प्रयत्न कर रहे थे, जिनके बारे में सन्देह था कि ये किसी मन्दिर से चुराये गये थे। उप निरीक्षक ने कांस्टेबल करूपानन करूपय्या को अपनी सहायता के लिये लिया और तुरन्त उस स्थान की ओर गये जहां पर उपर्युक्त 2 व्यक्ति आभूषण बेच रहे थे। उन्होंने जेवरात की दुकान के सामने अपराधियों को देखा। उनमें से एक के पास जिनके हाथ में चोरी के जेवरातों का कागज का पार्सल था, बाद में जिनाख्त की गई कि वह केरल में पेरू नगला के श्री माधवन का पुत्र राजन उर्फ सोमान था। बाद में पूछताछ से पता चला कि यह एक कुख्यात मन्दिर सेंधमार था, जिसकी केरल राज्य में 28 मामलों में तलाश थी। पुलिस अधिकारियों को देखने पर उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन उप निरीक्षक और कांस्टेबल श्री करूपय्या ने चतुराई से राजन उर्फ सोमन को पकड़े रखा लेकिन दूसरा अपराधी भाग निकलने में सफल हो गया। जब उप निरीक्षक आभूषणों का निरीक्षण कर रहे थे, कांस्टेबल करूपय्या अपराधी को पकड़े हुए था। अपराधी ने अचानक अपनी कमर से चाकू निकाला और हत्या करने के दुर्भावनापूर्ण प्रयास से कांस्टेबल पर चाकू से अन्धाधुंध प्रहार किये। कांस्टेबल को चाकू से पांच गम्भीर जख्म हुए। घातक हमले के बावजूद, कांस्टेबल साहस और दृढ़ विश्वास के साथ डटा रहा और अपराधी को अपनी पकड़ से नहीं छोड़ा। उप निरीक्षक और कांस्टेबल को इलाज के लिये तुरन्त अस्पताल ले जाया गया, जहां कांस्टेबल को रोगी के रूप में भर्ती किया गया। चाकू से पांच जख्म होने के बावजूद, कांस्टेबल करूपय्या ने अपनी जगह पर डटे रहकर और अपराधी पर अपनी पकड़ को ढीला नहीं होने देकर सराहनीय साहस, ईमानदारी और कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया। कांस्टेबल करूपय्या के दृढ़ संकल्प और प्रयासों के बिना अपराधी भाग कर बच गया होता और एक बार फिर कानून के शकंजों से बच गया होता।

कुछ खतरनाक अपराधियों को पकड़ने के प्रयास में और अपने सहयोगी पुलिस कार्मिकों की मदद करने में श्री करूपानन करूपय्या कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया। यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 4 जून, 1981 से दिया जायेगा।

सं० 39/प्रेज/83—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री रमा शंकर मिश्र,

पुलिस उपाधीक्षक,

जिला हमीरपुर,

उत्तर प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिसके लिये पदक प्रदान किया गया।

8 मार्च, 1981 को शाम लगभग 8.00 बजे श्री रमा शंकर मिश्र, सी० ओ० रथ, को स्वामी प्रसाद लोधी के मकान में थाना मझगावन के गांव ताला में अपने गिरोह के सदस्यों के साथ लच्छी छीपी की उपस्थिति के बारे में सूचना मिली। उन्होंने थाना जरिया, मझगावन और रथ से बल को मंगाया और उन्हें थाना रथ पर एकत्र होने का आदेश दिया। वे स्वयं रात लगभग 11.00 बजे थाना रथ में पहुंचे और पुलिस बल के साथ प्रातः लगभग 3.00 बजे थाना ताला रावत को प्रस्थान किया। उन्होंने बल को 7 दलों में विभाजित कर दिया। जिस मकान में डाकू छिपे हुए थे वह गांव के बीच में था और चारों तरफ से घेर लिया गया। श्री मिश्र ने अपने दल के साथ मकान के कई चक्कर लगाये और डाकुओं से आत्मसमर्पण के लिये कहा। प्रातः लगभग 6.00 बजे एक डाकू मकान से बाहर आया और उसने दीवार पर चढ़कर भागने की कोशिश की। उसको चुनौती दी गई और वह श्री मिश्र के दल के साथ हुई गोलीबारी में घटनास्थल पर मारा गया। उसको लल्लू पुत्र बाबू लाल के रूप में पहचाना गया।

इस घटना के बाद शेष डाकू हताश हो गये और उन्होंने मकान के अन्दर गोली चलानी शुरू कर दी। चूंकि डाकू सुरक्षित स्थान पर थे इसलिये पुलिस की गोलीबारी का उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। श्री मिश्र ने अपने दल के साथ शत्रुघन लोधी के मकान में प्रवेश किया और जीने से मकान की छत पर चढ़कर मोर्चा संभालने के लिये रेंग कर आगे बढ़े। डाकू कमरे के अन्दर से दीवार में बनाये गये छेदों में से लगातार गोली चलाते रहे। श्री मिश्र ने बड़ा खतरा उठाकर और डाकुओं की भारी गोलीबारी का सामना करते हुए कमरे की छत पर और छत तोड़ने का आदेश दिया ताकि दूसरे कमरे के अन्दर हथगोला फैंका जा सका। प्रातः लगभग 9.00 बजे तीन डाकू अचानक कमरे से बाहर आये और श्री मिश्र के पुलिस दल पर अन्धाधुंध गोलीबारी करने लगे। शेष पुलिस दल मकान के बाहरी क्षेत्र में था और श्री मिश्र एक छोटे पुलिस दल के साथ मकान की छत पर थे। श्री मिश्र अत्याधिक, सूझबूझ, साहस और कर्त्तव्यनिष्ठा से गोली चलाते रहे और अपने दल को भी तदनुसार कार्रवाई करने के लिये कहा ताकि डाकू

बच कर न निकल जाये। जवाबी गोलीबारी में श्री मिश्र के दायें हाथ पर बन्दूक की गोली से चोट लगी। वे फिर भी अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए रेंग कर आगे बढ़े और तेज गति से गोलियां चलाने लगे। भारी गोलीबारी के परिणामस्वरूप तीन डाकू जख्मी हो गये और गिर पड़े और जब डाकुओं की तरफ से गोलीबारी बन्द हो गई, श्री मिश्र अपने दल के साथ आंगन में गये और तीन डाकुओं को मृत पाया। उनकी लच्छी छीगी पुत्र बाबू लाल, मल्ल राम पुत्र राम चन्द्र और जय सिंह पुत्र श्रीपत के रूप में पहचाना गया।

श्री रमा शंकर मिश्र ने इस प्रकार उत्कृष्ट वीरता, साहस, नेतृत्व और अति उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8 मार्च, 1981 से दिया जायेगा।

सं० 40-प्रेज/83—राष्ट्रपति कर्नाटक पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री मालावन्दा वेल्लीअप्पा अचप्पा,

पुलिस उप-निरीक्षक,

सदाशिवनगर थाना,

बंगलौर शहर,

कर्नाटक।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

15 जून, 1981 को 11-05 बजे श्री मोहन नामक कनारा बैंक का एक खजांची भागता हुआ सदाशिवनगर थाने में आया और पुलिस उप-निरीक्षक मालावन्दा वेल्लीअप्पा अचप्पा, जो थाने में थे, को सूचित किया कि एक अज्ञात व्यक्ति कनारा बैंक, राजामहल विलास एक्सटेंशन, में घुस आया था। उसने पिस्तौल की नोक पर 44,637 रुपये की नकदी लूट ली, बाहर से दरवाजा बन्द किया, अपनी पिस्तौल से एक राउण्ड गोली चलाई और बगैर नम्बर प्लेट की हरे रंग की एक फिएट कार में टुम्कुर की ओर भाग गया।

पुलिस उप-निरीक्षक अचप्पा तत्काल एक सर्विस रिवाल्वर और गोला बारूद सहित एक .303 राइफल्स लेकर उपलब्ध कार्मिकों के साथ एक प्राइवेट कार में तुरन्त रवाना हुआ और लुटेरे की कार का पीछा करने लगे। नेलामंगला की ओर 20 किलो मीटर निरन्तर पीछा करने के बाद उन्होंने एक खेत में हरे रंग की एक फिएट कार खड़ी देखी जिसमें ड्राइवर की सीट पर एक व्यक्ति बैठा था। श्री मोहन से यह पुष्टि करके कि यह वही कार है, जिसमें लुटेरा नगदी लेकर बैंक से भागा था, श्री अचप्पा अपनी भरी हुई रिवाल्वर लेकर तुरन्त खड़ी हुई कार की ओर पैदल चलते हुए गये। पुलिस को देखकर, अभियुक्त ने लूटे हुए माल के साथ कार में बचकर भाग जाने के उद्देश्य से अपनी रिवाल्वर से भी अचप्पा को मार देने के लिये गोलियां चलानी शुरू कर दीं। फिर भी श्री अचप्पा अपनी रिवाल्वर से छः गोलियां चलाकर और अभियुक्त के वाहन को अतिग्रस्त करके कार की ओर बढ़े। ड्राइवर की सीट पर बैठे अभियुक्त ने अपने 9 एम० एम० पिस्तौल से सात गोलियां चलाई। जब उसके पास गोला बारूद कम पड़ गया तो वह कार लेकर मुख्य सड़क की ओर भागा। लेकिन मुख्य सड़क पर प्रवेश करने के स्थान पर राइफल लिये हुए एक पुलिस कर्मचारी को देखने पर, अभियुक्त ने भागने का प्रयास किया, लेकिन एक पुलिया से टकरा गया जिससे बायीं ओर का सामने का मडगार्ड क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बावजूद, अभियुक्त अपनी कार में नेलामंगलम की ओर भागा। उसको बचकर भागने से रोकने के लिए एक कांस्टेबल ने अपनी 303 राइफल्स से एक गोली चलाई। लगभग 2 फर्लांग चल कर कार रुक गई। अभियुक्त कार से बाहर निकल आया और एक हाथ में सूटकेस, जिसमें लूट का सामान था, और दायें हाथ में पिस्तौल लेकर भागने लगा। श्री अचप्पा ने अपने कर्मचारियों के साथ उसका पीछा किया और अभियुक्त को काबू में कर लिया। अपराध करने में प्रयोग की गई कार, सूटकेस, जिसमें 42,062/- रुपये, 9 एम० एम० पिस्तौल, खाली कारतूस सभी वस्तुयें पकड़ी गई।

श्री मालावन्दा वेल्लीअप्पा अचप्पा ने इस प्रकार उत्कृष्ट वीरता, साहस, एवं कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15 जून, 1981 से दिया जायेगा।

सं० 41-प्रेज/83:—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री गंगा सिंह,
उप निरीक्षक,
थाना अधिकारी,
कुर्थोंड, जिला जालौन,
उत्तर प्रदेश।

श्री सुखबीर सिंह,
हैड कांस्टेबल संख्या 20226, पी० ए० सी०,
डी० कम्पनी XXXVII बटालियन,
कानपुर,
उत्तर प्रदेश।

श्री ईश्वर नाथ पांडेय,
कांस्टेबल सं० सी०/33666,
"ए" कम्पनी XXVI बटालियन, पी० ए० सी०,
गोरखपुर,
उत्तर प्रदेश।

श्री विश्वनाथ सिंह, (मरणोपरान्त)
सी०/324, थाना जालौन,
जिला जालौन, उत्तर प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

23 मई, 1981 को कुर्थोंड के थाना अधिकारी श्री गंगा सिंह को गांव खोहाई के जंगल में मुरान्द/मीरा ठाकुर गिरोह के उपस्थित होने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई। गिरोह के उपस्थित होने का पता गांव धराना, थाना कुर्थोंड में लगा। कुर्थोंड के थाना अधिकारी श्री गंगा सिंह ने जालौन के थाना अधिकारी श्री ज्ञान स्वरूप रस्तोगी के पुलिस बल को साथ लिया और लगभग 10.30 बजे घटना स्थल पर पहुंचे। गिरोह मुन्ना, हरिबाबू और गुद्द के मकानों में उक्त गांव में छिपा हुआ था। ये तीनों मकान एक दूसरे से सटे हुए थे और गांव धराना के बाह्य क्षेत्र में स्थित थे। इन दोनों अधिकारियों ने विचार किया कि जवानों द्वारा घेरा डालकर डाकुओं द्वारा बचकर भागने वाले रास्तों की नाकाबन्दी कर दी जाये। जब वे घेरा डालने की कार्रवाई कर रहे थे तो डाकुओं ने उन पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। वे सौभाग्यवश बच गये। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और डाकुओं की भारी गोलीबारी के बावजूद उन्होंने सफलतापूर्वक डाकुओं के बच निकलने के मार्गों को बन्द कर दिया श्री गंगा सिंह ने तत्काल ही जालौन के पुलिस अधीक्षक, श्री उमाशंकर बाजपेयी, को मुरान्द मीरा ठाकुर गिरोह की घेराबन्दी के बारे में सूचना भेज दी और कुमुक के लिये अनुरोध किया। श्री बाजपेयी तुरन्त पुलिस लाइन्स, औराई, से अतिरिक्त पुलिस बल सहित गांव धारना की ओर बढ़े। रास्ते में उन्होंने आर० टी० सैट पर अन्य थाना अधिकारियों को सावधान किया और उन्हें घटनास्थल पर पहुंचने का आदेश दिया। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद श्री बाजपेयी ने बल का कमाण्ड संभाला और अधिकारियों तथा जवानों को सामरिक महत्व के स्थानों पर तैनात किया।

श्री बाजपेयी ने डाकुओं को आत्मसमर्पण करने के लिये ललकारा चूंकि वे सभी तरफ से घेर लिये गये थे। आत्मसमर्पण करने की बजाय डाकू पुलिस अधिकारियों को गाली देते रहे और गोली चलाते रहे। अन्य अधिकारियों के साथ श्री बाजपेयी ने भी आत्म सुरक्षा में डाकुओं पर गोली चलाई। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की बिल्कुल परवाह न करते हुए गोलियों की बौछार की आड़ में खुले में रेंगते हुए आगे बढ़े और एक नीची मिट्टी की दीवार के पीछे मोर्चा संभाला ताकि डाकुओं पर वहां से प्रभावकारी रूप से गोली चलाई जा सके कुछ अन्य चुने हुए जवानों के साथ थाना अधिकारी श्री ज्ञान स्वरूप रस्तोगी को ओंकार सिंह के मकान की छत पर, जो सामरिक महत्व की थी, मोर्चा संभालने के लिये तैनात किया गया जहां से गुट्टू के मकान की पहली मंजिल पर डाकुओं पर प्रभावकारी रूप से गोली चलाई जा सकती थी। गोलीबारी जारी रही और अन्त में पुलिस दल बिर्जे नामक एक कुख्यात डाकू को मारने में सफल हो गया। परन्तु ऐसा करने में जालौन थाने के एक बहादुर कांस्टेबल श्री विश्वनाथ सिंह का जीवन वीरगति को प्राप्त हो गया।

श्री बाजपेयी ने बिना हिम्मत हारे अन्य पुलिस अधिकारियों और जवानों को उत्साहित किया और वे डाकुओं पर भारी दबाव डालते रहे। वे रेंग कर और आगे बढ़े तथा गुट्टू के मकान को पूर्वी दिशा में मोर्चा संभाला एक सीढ़ी पर पहुंचने के बाद उस कमरे की खपरैल वाली छत में एक छेद किया गया जिसमें से डाकू अब भी गोली चला रहे थे। श्री बाजपेयी ने हैड कांस्टेबल 20226 पी० ए० सी० सुखबीर सिंह और कांस्टेबल 33666 पी० ए० सी० ईश्वर नाथ पांडेय को अपने साथ लिया और इस छेद से चार ग्रेनेड फेंके। इससे डाकुओं का मनोबल गिर गया। श्री बाजपेयी ने फिर रेंगना शुरू किया और नीची मिट्टी की दीवार के पीछे अपने पहले वाले स्थान पर लौट आये। उन्होंने 3 बी० एल० पी० गोलियां चलाई जिसके बाद मीरा ठाकुर समेत चार डाकू कूद कर कमरे से बाहर आये तथा एक अन्य नीची मिट्टी की दीवार के पीछे मोर्चा संभालने के बाद गोली चलाने लगे। श्री बाजपेयी और उनका दल डाकुओं पर भारी गोलीबारी करता रहा। इस गोलीबारी के दौरान डाकुओं की गोलियों से चार कांस्टेबल घायल हो गये। उनको तत्काल उपचार के लिये सदर अस्पताल भेजा गया। श्री बाजपेयी ने ढील नहीं छोड़ी और सभी अधिकारियों तथा जवानों को उत्साहित करते रहे और डाकुओं पर भारी गोली बारी जारी रखी। लगभग आधे घण्टे की भयंकर लड़ाई के साथ, वे शेष सभी चार डाकुओं को समाप्त करने में सफल हो गये। इन डाकुओं को बाद में गिरोह के नेता मुरान्द, मीरा ठाकुर, शिवराम और बादन के रूप में पहचान लिया गया। जब पुलिस दल उन डाकुओं के साथ मुठभेड़ में व्यस्त था जो गुट्टू के मकान से गोली चला रहे थे, तो एक दूसरा डाकू अपना स्थान बदलने में सफल हो गया और उसने हरिबाबू के मकान में शरण ली। श्री बाजपेयी ने कुछ पुलिस अधिकारियों के साथ हरि बाबू के मकान के पीछे मोर्चा संभाला। उन्होंने तुरन्त कार्रवाई पूरी करने का निर्णय किया ताकि डाकू अन्धेरा होने का लाभ न उठा सकें। श्री बाजपेयी दल के कुछ अन्य सदस्यों के साथ रेंगकर आगे बढ़े और उन्होंने जिस कमरे के अन्दर से डाकू गोली चला रहा था उस कमरे के दरवाजे के बिल्कुल निकट मोर्चा संभाला। दो राइफल्स ग्रेनेड उसी दरवाजे से जहां से डाकू गोली चला रहा था अन्दर फेंके गये। इस पर डाकू की चीख सुनाई दी और उसने पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश की। उस दरवाजे के निकट एक सामरिक महत्व के स्थान पर पहले से ही तैनात पुलिस दल इस डाकू को समाप्त करने में सफल हुआ। पहचान करने पर यह डाकू दुर्गा कोरी पाया गया। इस प्रकार गिरोह के नेता सहित मुरान्द मीरा ठाकुर के तमाम गिरोह को घटनास्थल पर ही समाप्त कर दिया गया।

श्री गंगा सिंह, श्री सुखबीर सिंह, श्री ईश्वर नाथ पांडेय तथा श्री विश्वनाथ सिंह ने सशस्त्र डाकुओं के साथ हुई मुठभेड़ में उत्कृष्ट, साहस एवं उच्चकोटि वीरता, साहस की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (I) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 23 मई, 1981 से दिया जायेगा।

दिनांक 3 जून, 1983

सं० 42/प्रेज/83:—राष्ट्रपति बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री अंजली कुमार सिन्हा,
पुलिस उप निरीक्षक,
पुलिस स्टेशन आलमगंज,
पटना,
बिहार।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

16/17 अगस्त, 1981 की रात को 1 बजे थाना आलमगंज के प्रभारी अधिकारी श्री अंजनी कुमार सिन्हा को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि थाना आलमगंज, गांव छोटी पहाड़ी, के विधि बहिष्कृत सनतानवा और अन्थानवा के नेतृत्व में कुछ कुख्यात अपराधी सड़क रोक करके एक गम्भीर डकैती डालने के लिये गांव बारा पहाड़ी के पूर्व में पान (एक बड़ा नाला) पर एकत्रित हो रहे थे। प्रभारी अधिकारी ने बिना समय नष्ट किये तीन छोटे दल बनाये और तुरन्त घटना स्थल की ओर अग्रसर हुए। पहाड़ी पैट्रोल पम्प पर पहुंचने पर श्री सिन्हा ने अपनी रणनीति निर्धारित की और तीन छोटे दलों को विभिन्न दिशाओं से उस स्थान की ओर बढ़ने के निर्देश दिये जहां वे लोग जमा थे। श्री सिन्हा, जो पहले दल का नेतृत्व कर रहे थे, ने पान की तरफ एक पगडंडी से बढ़ना प्रारम्भ किया। थाना सुल्तानगंज के प्रभारी अधिकारी के नेतृत्व वाला दूसरा दल मुख्य दल की सहायता के लिये उपयुक्त दूरी पर पीछे चल रहा था। तीसरा दल, जिसका नेतृत्व थाना आलमगंज के उप निरीक्षक आर० के० शर्मा कर रहे थे, दूसरी दिशा से पान की तरफ बढ़ा। प्रातः लगभग 2.15 बजे जब श्री सिन्हा के नेतृत्व वाला दल बारी पहाड़ी गांव के पूर्व में पहुंचा तो उसने पान के पूर्व में लगभग 7 से 8 व्यक्तियों को बैठे हुए देखा। श्री सिन्हा ने कुछ समय तक उन्हें सावधानी से देखा और उन्हें सन्देहास्पद परिस्थितियों में पाने पर, उन पर टार्च की रोशनी फेंकी और उन्हें ललकारा। इससे अपराधी क्रोधित हो गये, और वे अकस्मात खड़े हो गये और पुलिस आ गई, गोली चलाओ, बम मारो, आदि कहने लगे। ऐसा कहने पर अनथानवा उर्फ जोगेन्द्र शातुक ने बम फैंका जो श्री सिन्हा के ठीक सामने फटा जिससे उनकी बायीं टांग में गम्भीर रूप से चोटें आयीं और वे गिर पड़े। लेकिन इससे वीर और साहसी अधिकारी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने 1-4 होमगार्डों के साथ मोर्चा संभाला तभी इस दल के पीछे एक और बम का विस्फोट हुआ और इससे दूसरे दल के सदस्य जख्मी हो गये, जो पहले दल की सहायता के लिये उसके पीछे आ रहे थे। श्री सिन्हा रेंगते हुए आक्रमणकारी अपराधियों की तरफ बढ़े लेकिन जैसे ही सन्थानवा उर्फ सरजुग धानुक नामक अपराधी ने सिन्हा को अपनी तरफ आते देखा, उसने और उसके दो साथियों ने अपनी रिवाल्वरों से अन्धाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। समस्त पुलिस दल का जीवन खतरे में देखकर, श्री सिन्हा ने अपने सरकारी रिवाल्वर से गोलियां चला रहे और बम-फैंक रहे अपराधियों को निशाना बनाकर एक एक करके 4 गोलियां चलायीं। एक गोली सन्थानवा को लगी और वह गिर पड़ा। अन्य अपराधियों ने जाखा (जल मग्न क्षेत्र) में पूर्व की ओर भागना शुरू कर दिया। तब श्री सिन्हा ने राइफल्स दल को भागते हुए अपराधियों पर गोली चलाने का आदेश दिया। हालांकि होम गार्ड के जवानों ने अपनी बन्दूकों से दो राउन्ड गोलियां चलायी, लेकिन वे किसी को न लगीं। श्री सिन्हा अपराधियों का पीछा करने के लिये पानी में कूद पड़े, हालांकि उनके जख्मों से लगातार खून बह रहा था। अपने जीवन की परवाह न करते हुए श्री सिन्हा दूसरे कुख्यात अपराधी नामतः अनथानवा पर टूट

पड़े जो गोली लगने से जख्मी हो गया था। घायल अपराधी अनधानवा से तीन कारतूसों सहित पांच कारतूसों से भरी एक स्वदेशी पिस्तौल बरामद हुई और विस्फोटक सामग्री और गोलियों सहित दो बम बरामद हुए।

श्री अंजनी कुमार सिन्हा, उप निरीक्षक ने इस प्रकार उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 17 अगस्त, 1981 से दिया जायेगा।

सं० 43-प्रेज/83—राष्ट्रपति आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री के० वी० चन्द्र राव,

पुलिस उप निरीक्षक,

थाना कासोबग्गा,

आन्ध्र प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

8 अप्रैल, 1980, को रात्रि के लगभग 1 बजे, उप निरीक्षक, श्री के० वी० चन्द्र राव, को अपने मुखबिर के माध्यम से सुराग मिला कि गोरा काला रामबाबू ने कासोबग्गा थाने से 7 कि० मी० की दूरी पर कोय्यादुरू गांव में अपने साथी सवारा रामुडू के मकान में शरण ले रखी थी। उन्होंने तत्काल समस्त उपलब्ध पुलिस बल को एकत्र किया और कोय्यादुरू गांव की ओर चल दिये। यह दल रात्रि के घोर अन्धकार में लगभग 3 बजे गांव के बाहरी क्षेत्र में पहुंचा। छापामार दल गांव के चारों ओर बचकर निकलने के सभी संभव मार्गों को रोककर प्रतीक्षा करने लगे। उप निरीक्षक चन्द्र राव और उनका दल सवारा रामुडू के मकान को जाने वाले रास्ते पर रवाना हुआ। पुलिस बल जैसे ही उक्त मकान के पास पहुंचा, पुलिस दल पर मकान के अन्दर से बन्दूक की गोलियों से आक्रमण किया गया। उप निरीक्षक चन्द्र राव ने मकान के भीतर के व्यक्तियों से, जिन्होंने मजबूती से दरवाजे बन्द किये हुए थे, बाहर आने और आत्मसमर्पण करने की चुनौती दी क्योंकि वे उन्हें गिरफ्तार करने आये थे। लेकिन उनकी चुनौती पर कोई प्रक्रिया नहीं हुई। चूंकि अत्यधिक अन्धकार था, इसलिये वे दिन निकलने तक प्रतीक्षा में बैठे रहे। उप निरीक्षक चन्द्र राव की आत्मसमर्पण करने के लिये अनेक बार की गई अपीलों का कोई प्रभाव नहीं हुआ। प्रातः लगभग 6 बजे, जब उन्हें शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण करने के लिये अन्तिम रूप से चेतावनी दी गई, तो उन्होंने सामने के दरवाजे के छेद से रिवाल्वर से पुनः दो गोलियां चलाई। उप निरीक्षक चन्द्र राव ने तत्काल अपनी रिवाल्वर से हवा में दो गोलियां चलाई जिससे उन्हें यह पता लग जाये कि पुलिस के पास भी आग्नेय अस्त्र हैं। फिर मकान में एक हलचल होने लगी। कुख्यात गोरा काला रामबाबू ने मकान के अन्दर से दहाड़ा कि वह आत्मसमर्पण करने तथा जेल में यातना सहने के बजाय आखिरी दम तक पुलिस के साथ लड़कर मरने को ज्यादा अच्छा समझेगा। ऐसी चेतावनी देकर उसने दरवाजे की दरार से अपनी रिवाल्वर से एक राउण्ड गोली चलाई और उप निरीक्षक चन्द्र राव, जो दरवाजे के सामने मोर्चा संभाले हुए थे, गोली लगने से बाल बाल बच गये। इससे वे आगे की कारवाई करने से विचलित नहीं हुए। उप निरीक्षक ने दरवाजा खुलते ही दरवाजे की दरार से आत्मरक्षा में अपनी रिवाल्वर से गोलियां चलाई। उप निरीक्षक चन्द्र राव शत्रु की गोलियों की परवाह न करते हुए और व्यक्तिगत जोखिम के साथ दृढ़ता तथा साहस से अपने दल को लेकर, मकान के अन्दर घुसे और आक्रमण कारी रामबाबू, जो एक एक रिवाल्वर लिये हुए था, को काबू में कर लिया और उसे निरस्त्र कर दिया, हालांकि उप निरीक्षक के बायें हाथ में गोली की चोट लगी हुई थी।

श्री के० वी० चन्द्र राव, उप निरीक्षक, ने इस प्रकार उत्कृष्ट वीरता, साहस, नेतृत्व तथा उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8 अप्रैल, 1980 से दिया जायेगा।

सं० 44/प्रेज/83—राष्ट्रपति महाराष्ट्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री किशोर मनोहर फडनवीस,

उप निरीक्षक,

थाना अगरीपाड़ा,

ग्रेटर बम्बई।

श्री विट्ठल कृष्ण पाटिल

पुलिस कांस्टेबल,

थाना अगरीपाड़ा,

ग्रेटर बम्बई।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

10 अप्रैल, 1981, को लगभग 1.00 बजे पुलिस उप निरीक्षक किशोर मनोहर फडनवीस को अपने एक मुखबिर से मालूम हुआ कि कुन्दन लाल तथा उसके अन्य साथियों की बदलू रंगारी स्ट्रीट में एक व्यक्ति इकबाल टैम्पो के पुत्र के नामकरण समारोह में शामिल होने की संभावना थी। पुलिस उप निरीक्षक फडनवीस ने यह सूचना पुलिस उप निरीक्षक एम० जी० जाधव को दी। इसलिये पुलिस उप निरीक्षक एम० जी० जाधव, पुलिस उप निरीक्षक फड़नवीस, हैड कांस्टेबल /419/डी० शंकर सखाराम ताम्बे, पुलिस कांस्टेबल/17547/डी० चन्द्रकान्त रानोजा जाधव, पुलिस कांस्टेबल 14872/डी० सूर्य जो वाजीवा देसाई और पुलिस कांस्टेबल/14989/डी० विट्ठल कृष्ण पाटिल का दस्ता एक पुलिस जीप में बदलू रंगारी स्ट्रीट की ओर गया। गली में पहुंच कर दल ने देखा कि एक लाउडस्पीकर बिना अनुमति के चलाया जा रहा था और इसलिये उन्होंने लाउडस्पीकर का कनैक्शन काट दिया और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जो इसका प्रयोग कर रहा था; इस समय दल को सूचना मिली कि कुन्दन लाल और उसके साथी ट्रांजिट कैम्प की चाल सं० 16 तथा 22 के बीच के रास्ते पर एकत्र हुए थे और उनके पास तलवारें थी। इसलिये दल ट्रांजिट कैम्प, जो टैंक परवाड़ी रोड पर स्थित था, की ओर बढ़ा। ट्रांजिट कैम्प के द्वार पर पहुंच कर दल ने कुन्दन लाल, इकबाल टैम्पो, नासिर हुसैन उर्फ बादशाह, रईस, लाल, शौकत उर्फ बिस्कुट टिकी और कुछ अन्य व्यक्तियों को तलवारें लिये हुए देखा जो चाल संख्या 16 तथा 22 के रास्ते में एक समूह में खड़े हुए थे। पुलिस जीप को देखकर टिकी, लाल, इकबाल, टैम्पो और कुछ अन्य चाल संख्या 15 तथा 16 के बीच के रास्ते पर भागे। इसलिये शीघ्रता से निर्णय लेने के पश्चात् उप निरीक्षक जाधव तथा उनके दल ने इस समूह का पीछा किया पुलिस उप निरीक्षक फडनवीस और पुलिस कांस्टेबल (14909/डी० विट्ठल कृष्ण पाटिल अन्य व्यक्तियों की ओर दौड़े। यद्यपि पुलिस उप निरीक्षक फडनवीस कुन्दन लाल तथा अन्य व्यक्तियों की ओर बढ़ रहे थे तथापि नंगी तलवार से लैस कुन्दन लाल ने पुलिस उप निरीक्षक फडनवीस को ललकारा और गालियां दीं। पुलिस उप निरीक्षक फडनवीस और पुलिस कांस्टेबल /14989/डी० पाटिल अपने जीवन के संनिकट खतरे की परवाह न करते हुए कुन्दन लाल और उसके साथियों की ओर बढ़ते रहे। जब वे हाथ भर की दूरी पर थे तो कुन्दन लाल ने पुलिस उप निरीक्षक फडनवीस पर हमला करने के लिये तलवार उठाई। फिर भी पुलिस उप निरीक्षक स्थिर रहे। उन्होंने अपने बायें हाथ से हमले को रोका और अपना रिवाल्वर हवा में एक गोली चलाई। हमले को रोकने की प्रक्रिया में पुलिस उप निरीक्षक फडनवीस के बायें बाजू पर चोटें आई। लगभग उसी समय कुन्दन लाल के साथी नासिर हुसैन ने भी पुलिस उप निरीक्षक फडनवीस पर उनकी बायीं जांघ पर अपनी तलवार से हमला किया। यह विचार करते हुए कि पुलिस उप निरीक्षक समर्पण नहीं करेंगे नासिर हुसैन ने पुलिस उप निरीक्षक फड़नवीस की गर्दन पर पुनः हमला करने का प्रयत्न किया।

किन्तु पुलिस कांस्टेबल विट्ठल कृष्ण पाटिल, जो पुलिस उप निरीक्षक फड़नवीस के साथ थे, ने इस हमले को अपनी लाठी से रोका। अब यह स्पष्ट था कि कुन्दन लाल और उसके साथी किसी भी सीमा तक जा सकते थे और पुलिस उप निरीक्षक फड़नवीस और पी० सी० विट्ठल पाटिल को हत्या कर सकते थे इसलिये अपने और कांस्टेबल के जीवन की रक्षा करने के लिये पुलिस उप निरीक्षक फड़नवीस ने दो राउण्ड गोली चलाई। इस गोलीबारी और पुलिस कांस्टेबल पाटिल द्वारा लाठी के उचित प्रयोग से कुन्दन लाल और उसके साथी हतोत्साहित हो गये और उन्होंने चाल सं० 4 की ओर भागना आरम्भ कर दिया। किन्तु पुलिस उप निरीक्षक फड़नवीस और पुलिस कांस्टेबल पाटिल ने उनका पीछा किया। पुलिस उप निरीक्षक ने आततायियों से आत्मसमर्पण करने के लिये कहा जिस पर वे पीछे मुड़े और पुलिस उप निरीक्षक और पुलिस कांस्टेबल को पुनः ललकारा। यह जानते हुए कि आततायियों की संख्या अधिक थी और यह भी पूरी तरह जानते हुए कि आततायी उनकी हत्या भी कर सकते थे पुलिस उप निरीक्षक फड़नवीस ने पुलिस कांस्टेबल पाटिल से उनका मार्ग रोकने का प्रयत्न करने के लिये कहा तथा दो गोलियां और चलाईं जिससे नासिर हुसैन नीचे गिर गया। किन्तु अन्य आततायी बचकर भाग निकले। इस बीच पुलिस उपनिरीक्षक जाधव तथा अन्य कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंच गये और नासिर हुसैन तथा पुलिस उप निरीक्षक फड़नवीस को उठाया और उनको अस्पताल ले गये जहां पुलिस उप निरीक्षक को चोटों के इलाज के लिये दाखिल किया गया।

श्री किशोर मनोहर फड़नवीस, उप निरीक्षक और विट्ठल कृष्ण पाटिल, पुलिस कांस्टेबल, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 10 अप्रैल, 1981 से दिया जाएगा।

सु० नीलकण्ठन, राष्ट्रपति का उप-सचिव

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

कम्पनी कार्य विभाग

(कम्पनी विधि बोर्ड)

नई दिल्ली-1, दिनांक

आदेश

सं० 27(26)/83-सी० एल०-2—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209क की उप-धारा (1) के खण्ड (2) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कम्पनी कार्य विभाग के श्री एल० एम० गुप्ता, संयुक्त निदेशक, निरीक्षण को कथित धारा 209क के उद्देश्य के लिये प्राधिकृत करती है।

के० आर० ए० एन० अय्यर, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई 1983

संकल्प

सं० एफ० 6(2)/पी० डी०/83—सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह घोषणा की जाती है कि वर्ष 1983-84 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा इसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की 40,000 रुपये तक की कुल जमा रकमों पर ब्याज की दर 9½ प्रतिशत (साढ़े नौ प्रतिशत) तथा 40,000 रुपये से ऊपर की शेष रकमों पर ब्याज की दर 9 प्रतिशत (नौ प्रतिशत) वार्षिक होगी। ये दरें पहली अप्रैल, 1983 से आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान लागू रहेंगी। संबंधित निधियां निम्नलिखित हैं :—

1. सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवायें)।
2. राज्य रेलवे भविष्य निधि।
3. सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवायें)।
4. अंशदायी भविष्य निधि (भारत)।
5. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि।
6. भारतीय आयुद्ध विभाग भविष्य निधि।
7. रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि।
8. सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि।
9. भारतीय आयुद्ध कारखाना कामगार भविष्य निधि।
10. भारतीय नौ सेना गोदी कामगार भविष्य निधि।
11. अन्य विविध भविष्य निधियां।

2. इसके अतिरिक्त, अभिदाताओं को, अगर उन्होंने पहली अप्रैल, 1981 से लेकर तीन वर्षों में अपने भविष्य निधि के खाते से कोई रकम न निकाली हो तो उनकी सम्पूर्ण शेष रकमों पर एक प्रतिशत की दर से बोनस दिया जायेगा।

3. आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

नंगल दास पाल, निदेशक (बजट)

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 मई 1983

सं० 12(2)/82-आर० एम०-II (.):—इस विभाग की दिनांक 15-6-79 की अधिसूचना संख्या 17(1)/79—आर० एम०-I का अतिक्रमण करते हुए इस अधिसूचना की तारीख तथा अगले आदेश दिये जाने तक खनिज विकास बोर्ड में अध्यक्ष के अलावा निम्नलिखित अंशकालिक सदस्य होंगे:—

1. अध्यक्ष, खनिज विकास बोर्ड, नई दिल्ली।	अध्यक्ष
2. (सचिव) इस्पात), उद्योग भवन, नई दिल्ली।	सदस्य
3. सचिव (खान), शास्त्री भवन, नई दिल्ली।	सदस्य
4. अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, इस्पात विभाग।	सदस्य
5. अध्यक्ष, खनिज तथा धातु व्यापार निगम, नई दिल्ली।	सदस्य
6. अध्यक्ष-एवं-प्रबन्ध निदेशक, नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कारपोरेशन, हैदराबाद।	सदस्य
7. महा निदेशक, भारतीय भू-सर्वेक्षण, 27-जवाहर लाल नेहरू मार्ग, कलकत्ता।	सदस्य
8. संयुक्त सलाहकार (खनिज), योजना आयोग, नई दिल्ली।	सदस्य
9. महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर।	सदस्य

10. श्री वी० डी० चौगले, सदस्य
अध्यक्ष,
चौगले एण्ड कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड,
मारमुगोवा, गोआ।

11. श्री के० एस० रामचन्द्रन, सदस्य
अध्यक्ष,
नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (नालको),
नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।

12. श्री जी० मुखर्जी, सदस्य
उपाध्यक्ष,
स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली।

13. डॉ० वी० एस० अरुणाचलम, सदस्य
सचिव,
प्रतिरक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान।

14. श्री उमा शंकर अग्रवाल, सदस्य
प्रबन्ध निदेशक,
फेरो अलॉय कारपोरेशन लिमिटेड,
श्रीराम भवन, तमसर-441912,
महाराष्ट्र।

प्र० गो० रामस्वामी, संयुक्त सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 25 मई 1983

सं० 14/11/83-कमेटी—सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि डॉ० ए० पी० मित्रा, निदेशक, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एन० पी० एल०), नई दिल्ली को दिनांक 15-5-1983 से 14-5-1985 तक के लिये डॉ० अमरजीत सिंह, निदेशक, केन्द्रीय इलैक्ट्रानिकी इंजीनियरी अनुसन्धान संस्थान, पिलानी के स्थान पर चेयरमैन, समन्वय परिषद, भौतिक और भू-विज्ञान समूह के रूप में नियुक्त किया गया है। परिणामस्वरूप, डॉ० अमरजीत सिंह का नाम और पद, जो अधिसूचना क्रमांक 1/11/80-सी० टी० ई० दिनांक 12-8-1981 के पृष्ठ संख्या 2 पर क्रमांक 6(बी) और अधिसूचना क्रमांक 1/4/82-सी० टी० ई० दिनांक 1-7-1982 के क्रमांक 7 पृष्ठ संख्या 4 पर अंकित है और भारत के राजपत्र के भाग-I अनुभाग-1 में प्रकाशित किया गया था, के स्थान पर अब डॉ० ए० पी० मित्रा, निदेशक, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली का नाम माना जाये।

जी० एस० सिद्धू, सचिव
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
सी० एस० आई० आर० के कार्यों के लिए
तथा
महानिदेशक
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

समाज कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 मई 1983

संकल्प

सं० पी० 11011/1/81-पी० आर० (खण्ड-2)—केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति के पुनर्गठन के बारे में इस मंत्रालय के दिनांक 17 सितम्बर, 1982 के समसंख्यक संकल्प में आंशिक संशोधन करते हुए, इसके क्रम संख्या 31 के अन्तर्गत दिये गये वाक्य के स्थान पर तत्काल निम्नलिखित वाक्य रखा जाये:—

31. उपराज्यपाल, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान मंत्री का कार्यालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग तथा सभी राज्य सरकारों/केन्द्रशासित प्रदेश प्रशासनों के मुख्य सचिवों को भेज दी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये।

वेद मारवा, संयुक्त सचिव

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय)

नई दिल्ली, दिनांक 27 मई 1983

सं० डी० जी० ई० टी०-ए-19019/1/83-टी० ए० I—उच्च प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर के सहायक प्रशिक्षण अधिकारी (मोटर मैकेनिक) श्री पी० एन० बर्थवाल को उसी संस्थान में 28-3-1983 (पूर्वाह्न) से तीन माह या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पूर्णतः तदर्थ आधार पर प्रशिक्षण अधिकारी (मोटर मैकेनिक) के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये पदोन्नत किया जाता है।

एस० गुरप्पा, अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 1st June 1983

No. 38-Pres/83.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Tamil Nadu Police :—

Name and rank of the officer

Shri Karuppannan Karuppiah,
Police Constable No. 306,
Coimbatore (Urban) District,
Tamil Nadu.

Statement of services for which the decoratoin has been awarded

On the 4th June, 1981, Sub-Inspector of Police, Shri M. Bhagyasamy of Crime detachment, received information that two Keralites were trying to dispose of, in the local market, some silver jewellery suspected to be stolen from some temple. The Sub-Inspector took Constable Karuppannan Karuppiah alongwith him for his assistance and rushed to the place where the jewellery was being sold by the above two individuals. They spotted the criminals in front of a jewellery shop. One of them, who was later identified as Rajan alias Soman S/o Madhavan of Perungala in Kerala, was found having a paper parcel containing silver jewellery in his hand. Later investigation revealed that he was a notorious temple burglar wanted in 28 cases of Kerala State. On seeing the police officers, they attempted to escape but the Sub-Inspector and the Constable Shri Karuppiah cleverly caught hold of Rajan alias Soman but the other culprit managed to escape. While the Sub-Inspector was examining the jewellery, Constable Karuppiah was holding the criminal. All of a sudden the culprit brandished a knife out of his waist and stabbed the Constable indiscriminately in a malicious attempt of murder. The Constable received five dangerous stab injuries on his person. In spite of the deadly assault, the Constable with courage and determination stood his ground and refused to loosen his grip over the culprit. The Sub-Inspector and the Constable were rushed to the hospital for treatment where the Constable was admitted as in-patient. In spite of having received five stab injuries, Constable Karuppiah exhibited commendable courage, sincerity and devotion to duty by standing his ground and refusing to loosen his grip over the criminal. But for his determination and efforts the criminal might have escaped and avoided the clutches of law once again.

In his attempt to apprehend some hardened criminals and while helping his fellow policemen Shri Karuppannan Karuppiah exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a very high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 4th June 1981.

No. 39-Pres/83.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police:—

Name and rank of the officer

Shri Rama Shanker Misra,
Deputy Superintendent of Police,
District Hamirpur,
Uttar Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 8th March, 1981, at about 8.00 p.m., Shri Rama Shanker Misra, CO Rath, received information about the presence of Lachchi Chipi with his gang members in village Tala, PS Majhgawan in the house of Swami Prasad Lodhi. He requisitioned force from PSS Jaria, Majhgawan and Rath and ordered them to collect at PS Rath. He himself reached PS Rath at about 11.00 p.m. and proceeded to village Tala Rawat at about 3.00 a.m. alongwith the police force. He divided the force in seven parties. The house in which the dacoits were hiding was in the centre of the village and was cordened. Shri Misra took several rounds of the house with his party asking the dacoits to surrender. At about 6.00 a.m. one of the dacoits came outside the house and tried to escape scaling over the wall. He was challenged and, in exchange of fire with Shri Misra's party, was killed on the spot. He was identified as Lalloo son of Babu Lal.

After this incident the remaining dacoits became desperate and opened fire from inside the house. As the dacoits were in a secure position, the firing by the police had no effect on them. Shri Misra with his party entered the house of Shatrughan Lodhi and from up stairs, he crawled to take a position on the roof of the house. The dacoits continued to fire through the holes made in the wall from inside the room. Shri Misra at great personal risk and in the face of heavy firing by dacoits crawled further to the roof of the room and ordered it to be broken so that grenade could be thrown inside the room. At about 9.00 a.m. three dacoits suddenly came out of the room and started indiscriminate firing on the police party of Shri Misra. The remaining police party was in outer cordon of the house and Shri Misra alongwith a small police party was on the roof of the house. Shri Misra with great presence of mind, courage and devotion to duty continued to fire asking his party to act accordingly and not allowed the dacoits to escape. In the exchange of fire Shri Misra got gun shot injury in his right hand. Even then unmindful of his personal safety he crawled further and started massive firing. As a result of heavy exchange of fire three dacoits got injured and fell down when the firing ceased from the side of the dacoits. Shri Misra with his party went in the courtyard and found that the three dacoits were lying dead. They were identified as Lachhi Chipi S/o Babu Lal, Sant Ram S/o Ram Chandra and Jai Singh S/o Sripat.

Shri Rama Shanker Misra thus exhibited conspicuous gallantry, courage, leadership and devotion to duty of a very high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 8th March, 1981.

No. 40-Pres/83.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Karnataka Police :—

Name and rank of the officer

Shri Malavanda Belliappa Achappa,
Sub-Inspector of Police,
Sadashivanagar Police Station,
Bangalore City,
Karnataka.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 15th June, 1981, at about 11.05 hours, one Shri Mohan, Cashier of Canara Bank, rushed to Sadashivanagar PS and reported to Police Sub-Inspector Malavanda Belliappa Achappa, who was in the Police Station, that an unknown person had entered the Canara Bank, Rajamahal Vilas Extension and at the point of pistol had robbed cash of Rs. 44,637/-, bolted the door from outside, fired one round from the pistal and sped away in a green fiat car without number plate towards Tumkur.

Police Sub-Inspector Achappa immediately rushed with available staff with a service revolver and one .303 rifle with ammunitions in a private car, and chased the car of robber. After continuous hot chase of 20 Kms towards Nelamangala they observed one green Fiat car parked in a field and a person seated at the driver's seat. Confirming from Shri Mohan that it was the same car in which the robber left the Bank with cash, Shri Achappa immediately rushed towards the parked car on foot with his loaded revolver. On seeing the Police, the accused started firing with his pistol aiming at Shri Achappa to kill him and to escape in the car with the booty. Shri Achappa, however, advanced towards the car after firing six rounds from his revolver, damaging the vehicle of the accused. The accused fired seven rounds again with his .9MM Pistal sitting in the driver's seat. When he ran short of ammunition he sped away in the car towards the main road. But on seeing a Policeman with rifle at the entrance to the main road, the accused tried to speed away, but succeeded in dashing against the culvert which damaged the fornt left side mudguard. Despite this, the accused proceeded towards Nelamangala in his car. To prevent his escape, a Constable fired one round from his .303 rifle. The car stopped after proceeding about 2 furlongs. The accused got out of car and started running with his suit-case containing the booty in one hand and the pistol in his right hand. Shri Achappa with his staff chased and over-powered the accused. The suit-case containing cash of Rs. 42,062/-, the .9MM pistol, empty cartridges were all seized, including the car used in the commission of the offence.

Shri Malavanda Belliappa Achappa thus exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 15th June 1981.

No. 41-Pres/83.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police :—

Names and ranks of the officers

Shri Ganga Singh,
Sub-Inspector, Station Officer,
Kuthond, District Jalaun,
Uttar Pradesh.

Shri Sukhbir Singh,
Head Constable No. 20226 PAC,
'D' Coy. XXXVII Bn.,
Kanpur,
Uttar Pradesh.

Shri Ishwar Nath Pandey,
Constable No. C/33666 PAC 'A' Coy.
XXVI. Bn. PAC.,
Gorakhpur,
Uttar Pradesh.

Shri Vishwanath Singh, *(Posthumous)*
C/324 CP, P. S. Jalaun,
District Jalaun,
Uttar Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 23rd May, 1981, Shri Ganga Singh, SO, Kuthond, received information about the presence of Murand/Meera Thakur gang in the jungle of village Lohai. The presence of the gang was ascertained in village Dharana, PS Kuthond. Shri Ganga Singh, SO, Kuthond, took the Police party of Shri Gyan Swaroop Rastogi, SO, Jalaun, and reached the spot at about 10.30 hrs. The gang was hiding in the houses of Munna, Hari Babu and Guttoo in the said village. These 3 houses were contiguous and situated at the outskirts of

village Dharana. Both these officers thought of putting a human cordon to prevent the escape of any dacoit. While they were in the process of fixing the cordon, the dacoits fired a volley of shots on them. They luckily escaped. However, they did not lose heart and in spite of heavy firing by the dacoits, they successfully managed to plug the escape routes. Shri Ganga Singh immediately passed on the information to Shri Uma Shanker Bajpai, SP, Jalaun, about the Gherabandi of Murand/Meera Thakur gang and requested for re-inforcement. Shri Bajpai promptly rushed to village Dharana with additional police force from Police Lines, Orai. On his way, he alerted other Station Officers on R/T Sets and ordered them to proceed to the scene of occurrence. On reaching the spot, Shri Bajpai took command of the force and posted officers and men at strategic points.

Shri Bajpai challenged the dacoits to surrender as they were surrounded from all sides. Instead of surrendering, the dacoits continued abusing police officers and kept on firing. Shri Bajpai alongwith other officers also opened fire on dacoits in self defence. He, in utter disregard to his personal safety, crawled further through open escape under the covering fire and took position behind a low mud wall from where they could effectively fire on dacoits. Shri Gyan Swaroop Rastogi, alongwith some other hand-picked men, was deputed to take position on the roof of the house of Onkar Singh which was strategically situated and from where effective fire could be put on dacoits on the first floor of Guttoo's house. The firing continued and ultimately the police party succeeded in liquidating one notorious dacoit namely Birje but only after the sacrifice of one brave Constable Vishwanath Singh of Police Station, Jalaun.

Shri Bajpai enthused other police officers and men. Without losing heart, he continued to put further heavy pressure on dacoits. He further crawled ahead and took position on the eastern side of Guttoo's house. After climbing a ladder, a hole was made in the tiled roof of the room from where the dacoits were still firing. Shri Bajpai took HC 20226 PAC Sukhbir Singh and C/33666 PAC Ishwar Nath Pandey alongwith him and dropped four grenades through this hole. This shattered the morale of the dacoits. Shri Bajpai again crawled and returned back to his original position behind the low mud wall. He fired 3 VLP cartridges whereafter four dacoits including Meera Thakur jumped out of the room and started firing after taking position behind another low mud wall. Shri Bajpai and his party continued heavy firing on these dacoits. During this exchange of fire, four constables received injuries from the bullets of the dacoits. They were immediately sent to Sadar Hospital for treatment. Shri Bajpai did not relent and continued to enthuse all the officers and men and continued heavy firing on the dacoits. After a fierce battle which lasted about half an hour, he succeeded in liquidating all the four remaining dacoits. These dacoits were subsequently recognized as gang leader Murand, Meera Thakur, Shiv Ram and Badan. While the police party was engaged in the encounter with dacoits who were firing from the house of Guttoo, one more dacoit managed to change his position and took shelter in the house of Hari Babu. Shri Bajpai alongwith a few police officers took position behind the house of Hari Babu. He decided to complete the operation quickly so that the dacoit may not take advantage of the approaching darkness. Shri Bajpai along with a few other members of the party crawled ahead and took position just near the door of the room from where the dacoit was firing from inside. Two rifle grenades were thrown through the same door from which the dacoit was firing. On this screams of the dacoit were heard and he tried to escape through the back door. The police party already deployed at a strategic place near that door succeeded in liquidating this dacoit who was identified as Durga Kori. Thus the entire gang of Murand/Meera Thakur including the gang leader was liquidated on the spot.

In the encounter with the armed dacoits Shri Ganga Singh, Shri Sukhbir Singh, Shri Ishwar Nath Pandey and Shri Vishwanath Singh exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 23rd May, 1981.

New Delhi, the 3rd June 1983

No. 42-Pres/83.—The President is pleased to award the Police Medal for galantry to the undermentioned officer of the Bihar Police :—

Name and rank of the officer

Shri Anjani Kumar Sinha,
Sub-Inspector of Police,
Police Station Alamganj, Patna,
Bihar.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the night of 16th/17th August, 1981, at 1 a.m., Shri Anjani Kumar Sinha, Officer-in-charge, Alamganj P.S., got confidential information that some notorious criminals headed by out-laws Santanwa and Anthanwa of village Choti Pahari, P.S. Alamganj, were being assembled at the Pan (a big drain) on the east of village Bari Pahari to commit a serious road hold-up dacoity. The Officer-in-charge without losing a moment's time quickly formed three small parties and rushed to the spot. On arrival at the Pahari Petrol Pump, Shri Sinha planned his strategy and directed three small parties to advance from different directions to the place of assemblage. Shri Sinha who was heading the first party, started proceeding through a pagdandi towards the Pan. The second party headed by o/c Sultanganj P.S. was following the main party at a reasonable distance in its support. The third party headed by S.I., R. K. Sharma of Alamganj P.S., proceeded towards the Pan through a different direction. At about 2.15 a.m., when the party led by Shri Sinha arrived east of Bari Pahari village, he noticed about seven to eight persons sitting east of the Pan. Shri Sinha watched them for some time and finding them in suspicious circumstances threw torch light on them and challenged. This infuriated the criminals; they suddenly stood up and started uttering "Police Aa Gai Goli Chalao, Bomb Maro, etc." Saying that Anthanwa alias Jogendra Dhanuk hurled a bomb which blasted just in front of Sri Sinha causing serious injuries to his left leg and he fell down. This did not deter the brave courageous Officer from his duties. He took position with his 1-4 Home Guards' party. Just then another bomb blasted behind this party and that caused injuries to the members of the second party which was following the first party in support. Shri Sinha crawled towards the attacking criminals but as soon as criminals namely Santhanwa alias Sarjug Dhanuk saw Sri Sinha coming towards them he and his two associated started indiscriminate firing with their revolvers. Seeing the life of entire Police party in danger, Shri Sinha opened fire from his service revolver and fired four rounds one by one aiming at the criminals who were firing and hurling bombs. One bullet hit Santhanwa and he fell down. Other criminals began to run towards east in Jalla (an area full of water). Shri Sinha then ordered the rifle party to open fire on the fleeing criminals. Although the Home Guards Jawans fired two rounds from their muskets but that did not hit anyone. Shri Sinha also jumped in the water to follow the criminals although blood was coming out from his wound continuously. Shri Sinha without caring for his life pounced upon the other notorious criminal namely Anthanwa who had also sustained bullet injury. A country made pistol loaded with five cartridges alongwith three live cartridges were recovered from the possession of the injured criminal Anthanwa and two live bombs were recovered alongwith explosive materials, pellets etc.

Shri Anjani Kumar Sinha, Sub-Inspector, exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 17th August, 1981.

No. 43-Pres/83.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Andhra Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri K. V. Chandra Rao,
Sub-Inspector of Police,
Police Station Kasibugga,
Andhra Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 8th April, 1980, at about 1 A.M., the S.I., Shri K. V. Chandra Rao got clues through his informant that Korakala Rambabu was taking shelter in the house of his associate Savara Ramudu in Koyyanduru village lying at a distance of 7 Kms. to Kasibugga Police Station. He immediately gathered all the available Police Force and proceeded to Koyyaduru village. The party reached the outskrits of the village by about 3 A.M. in pitch darkness. The raiding parties laid in wait around the village blocking all the possible escape routes. S. I. Chandra Rao and his party tracked their way to the house of Savara Ramudu. As soon as the Police party reached the said house, the Police party was attacked with gun fire from inside the house. S. I. Chandra Rao challenged the inmates of the house with tightly closed doors to come out and surrender as he had come to arrest them. But there was no response to his challenge. As it was pitch dark, he laid in wait till day break. Appeals of S. I. Chandra Rao several times to the intimates to surrender themselves had no effect. At about 6 A.M., when they were finally warned to surrender themselves peacefully, they again fired two revolver shots, through the slit of the front door. S. I. Chandra Rao immediately fired two shots into the air with his revolver to scare the inmates that Police were also in possession of fire arms. Then a tumultuous uproar started in the house. Gorakala Rambabu a dare-devil roared from inside the house that he would prefer to die by fighting the Police to the last rather than to surrender and groan in jail. So Challenging, he fired one round with his revolver through the slit of the door and S. I. Chandra Rao, who was taking his position at the front door narrowly escaped the bullet injury. This did not deter him from further action. In self-defence the S.I. pened fire with his revolver through the slit of the door as soon as the door was opened. S. I. Chandra Rao unmindful of the enemy gun-fire and grave personal risk led his party into the house with firm determination and courage and overpowered and disarmed the assailant Rambabu still holding a Revolver despite a bullet injury on the left fore-arm of the S. I.

Shri K. V. Chandra Rao, Sub-Inspector thus exhibited conspicuous gallantry, courage, leadership and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 8th April, 1981.

No. 44-Pres/83.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Maharashtra Police :—

Name and rank of the officer

Shri Kishor Manohar Fadanavis,
Sub-Inspector,
Police Station Agripada,
Greater Bombay.

Shri Vithal Krishna Patil,
Police Constable,
Police Station Agripada,
Greater Bombay.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 10th April, 1981, at about 0100 hrs. P.S.I. Kishor Manohar Fadanavis learnt through one of his informants that Kundanlal and his other associates were likely to attend a function in connection with the naming ceremony of one Iqbal Tempo's son at Badloo Rangari Street. P.S.I. Fadanavis passed on this information to PSI M. G. Jadhav, and, therefore, the squad consisting of PSI Jadhav PSI Fadanavis, HC/419/D Shankar Sakharam Tambe, PC/17547/D Chandrakant Ranoji Jadhav, PC/14872/D Suryaji Dajiba Desai and PC/14989/D Vithal Krishna Patil proceeded towards Badloo Rangari Street in a Police Jeep. On reaching the street the party noticed a loudspeaker being used without permission and, therefore, they disconnected the loudspeaker and arrested the person who was using it. It was at this stage that the party was informed that Kundanlal and his associates had gathered in the passage between Chawl No. 16 & 22 of Transit Camp and that they were carrying swords. The party, therefore, proceeded towards the Transit Camp which is located on Tank Pakhadi Road. On reaching the gate of Transit Camp the party saw Kundanlal, Iqbal Tempo, Nasir Hussein alias Badshaha, Rayees, Lal, Shaukat alias Biscuit, Tinki and some other carrying swords and standing in a group in the common passage between chawl Nos. 16 & 22. On seeing the Police Jeep Tinky, Lal, Iqbal Tempo and some others ran towards the passage between Chawl Nos. 15 & 16. Therefore, after a quick decision SI Jadhav, and party ran after this group. P.S.I. Fadanavis and PC/14989/D Vithal Krishna Patil rushed towards the others. Even as PSI Fadanais was advancing towards Kunlanwal and others, Kundanlal, who was armed with a named sword, challenged and abused PSI Fadanavis. Unmindful of imminent danger to his life PSI Fadanavis and PC/149889/D Patil kept on advancing towards Kundanlal and his associates. As they were within a hand shaking distance, Kundanlal raised his sword to attack PSI Fadanavis. However, PSI Fadanavis kept his cool, warded off the attack with his left hand and taking out his revolver fired one round in the air. In the process of warding off the attack P.S.I. Fadanavis received injuries on his left arm. At about the same time Kundanlal's associate Nasir Hussein also attacked PSI Fadanavis with his sword on his left thigh. Realising that PSI Fadanavis would not give up, Nasir Hussein again tried to attack PSI Fadanavis on his neck. However, PC Vithal Krishna Patil, who was with PSI Fadanavis, warded off this attack with his lathi. It was now clear that Kundanlal and his associates would go to any extent and kill PSI Fadanavis and PC Vithal Krishna Patil. Therefore, in order to save his own life and that of the Constable, PSI Fadanavis fired two rounds. This firing and correct use of lathi by PC Patil unnerved Kundanlal and his associates and they started running towards Chawl No. 4. However, PSI Fadanavis and PC Patil followed them. PSI Fadanavis then asked the desperados to surrender where-upon they turned back and challenged PSI Fadanavis and the PC again. Realising that they were out numbered by the desperados and knowing full-well that the desperados would even kill them, PSI Fadanavis asked PC Patil to try and outflank them and then fired two more rounds where-upon Nasir Hussein fell down. Others, however, managed to escape. Meanwhile PSI Jadhav and other members of the staff reached the stop and picked up Nasir Hussein and PSI Fadanavis and took them to the hospital where PSI Fadanavis was admitted for treatment of the injuries.

Shri Kishore Manohar Fadanavis, Sub-Inspector and Shri Vithal Krishna Patil, Police Constable, thus exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 10th April, 1981.

S. NILAKANTAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

(COMPANY LAW BOARD)

New Delhi, the 23rd May 1983

ORDER

No. 27(26)83-CL-II.—In pursuance of Clause (ii) of sub-section (1) of Section 209-A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorises Shri L. M. Gupta, Deputy Director, Inspection in the Department of Company Affairs for the purposes of the Said section 209-A.

K. R. A. N. IYER, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 31st May 1983

RESOLUTION

No. F.6(2)PD/83.—It is announced for general information that during the year 1983-84, accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 9½% (nine and a half per cent) per annum upto Rs. 40,000 and at the rate of 9% (nine per cent) per annum on balances in excess of Rs. 40,000. These rates will be in force during the financial year beginning on 1-4-1983. The funds concerned are :—

1. The General Provident Fund (Central Services).
2. The State Railway Provident Fund.
3. The General Provident Fund (Defence Services).
4. The Contributory Provident Fund (India).
5. The All India Services Provident Fund.
6. The Indian Ordnance Deparmtent Provident Fund.
7. The Defence Services Officers Provident Fund.
8. The Armed Forces Personnel Provident Fund.
9. The Indian Ordnance Factories Workmen's Provident Fund.
10. The Indian Naval Dockyard Workmen's Provident Fund.
11. Other Miscellaneous Provident Funds.

2. In addition, incentive bonus will be admissible to the subscribers at the rate of one per cent on the entire balance at their credit in case they have not withdrawn any amount from their provient fund account during the preceding three years commencing from 1st April, 1981.

ORDER

3. ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

M. D. PAL, Director (Budget)

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(DEPARTMENT OF STEEL)

New Delhi, the 5th May 1983

No. 12(2)/82-RMII.—In supersession of this Department's Notification No. 17(1)/79-RMI dated 15-6-79 the Mineral Development Board will consist of a Chairman and part-time members, as mentioned below with immediate effect and until further orders :—

Chairman

1. Chairman,
Mineral Development Board,
New Delhi.

Members

2. Secretary (Steel),
Udyog Bhavan, New Delhi.
3. Secretary (Mines),
Shastri Bhavan, New Delhi.

Members

4. Additional Secretary and
Financial Adviser, Deptt. of Steel.
5. Chairman,
Mineral & Metals Trading Corporation,
New Delhi.
6. Chairman-cum-Managing Director,
National Mineral Development Corporation,
Hyderabad.
7. Director General,
Geological Survey of India,
27-Jawaharlal Nehru Marg, Calcutta.
8. Joint Adviser (Minerals),
Planning Commission, New Delhi.
9. Controller General,
Indian Bureau of Mines,
Nagpur.
10. Shri V. D. Chowgule, Chairman,
Chowgule & Co. (P) Limited,
Marmugao, Goa.
11. Shri I. S. Ramachandran, Chairman,
National Aluminium Company (NALCO),
Nehru Place, New Delhi.
12. Shri G. Mukherjee, Vice-Chairman,
Steel Authority of India Limited,
New Delhi.
13. Dr. V. S. Arunachalam, Secretary,
Defence & Scientific Research.
14. Shri Uma Shankar Agarwal,
Managing Director, Ferro Alloy,
Corporation Limited, Shreeram Bhavan,
TUMSAR-441 912, Maharashtra.

P. G. RAMRAKHIANI, Jt. Secy

DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY

New Delhi-1, the 25th May 1983

No. 14/11/83-CTE.—It is notified for general information that Dr. A. P. Mitra, Director, National Physical Laboratory, New Delhi has been appointed as Chairman, Coordination Council, Physical and Earth Sciences Group with effect from 15-5-1983 to 14-5-1985 in place of Dr. Amarjit Singh, Director, Central Electronics Engineering Research Institute, Pilani. Consequently, the name and designation of Dr. Amarjit Singh appearing under Serial No. 6(b) on page 2 of the Notification No. 1/11/80-CTE dated 12-8-1981 and Serial No. 7 on page 4 of Notification 1/4/82-CTE dated 1-7-1982 be published in Part I Section 1 of the Gazette of India and is hreby replaced with that of Dr. A. P. Mitra, Director, National Physical Laboratory, New Delhi.

G. S. SIDHU, Secy.
Department of Science & Technology
for CSIR Affairs and Director General,
Scientific & Industrial Research,
New Delhi

MINISTRY OF SOCIAL WELFARE

New Delhi, the 24th May 1983

RESOLUTION

No. P.11011/1/81-PR(Vol.II).—In partial modification of this Ministry's Resolution of even number dated 17-9-1982 reconstituting the Central Prohibition Committee, entry 31

therein may be substituted as under with immediate effect :—

31. The L. G., Andaman & Nicobar Islands, Port Blair

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the Members of the Committee; all the Ministries of the Government of India; the Planning Commission; the Cabinet Secretariat; the Prime Minister's Office; the Lok Sabha Secretariat; the Rajya Sabha Secretariat; the Department of Parliamentary Affairs and the Chief Secretaries of all the State Governments/Union Territories.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. P. MARWAH, Jt. Secy.

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION

(DIRECTORATE GENERAL OF EMPLOYMENT & TRAINING)

New Delhi-110 001, the 27th May 1983

No. DGET-A-19019/1/83-TA-I.—Shri P. N. Bharathwal, Assistant Training Officer (Motor Mechanic) in the Advanced Training Institute, Kanpur is promoted to officiate as Training Officer (Motor Mechanic) on purely *ad-hoc* basis for 3 months or till further orders whichever is earlier in the same institute with effect from 28-3-1983 (FN).

S. GURAPPA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1983.